



Om
DAV MUKHYAMANTRI PUBLIC SCHOOL
KUNJARA, LAILUNGA, Raigarh (C.G.)

Managed by D.A.V. College Managing Committee, New Delhi -55
(Affiliated to CBSE, Affiliation No.3330351, School No.17035)
Mob. 7587017457 / E-mail: davmpskunjara@gmail.com

DAVMPS/Kunj/2023-24/58

Date: 17/06/2023

SELF CERTIFICATION


DAV Mukhyamantri Public School is Govt. School; It is run by Govt. from 2011 to 2016 as a model school. Later on it was handed over to DAV, So NOC & Recognition is not required.

57


(Sushil Kumar Yadav)

PRINCIPAL

DAV Mukhyamantri Public
School Kunjara, Lailunga
Dist.-Raigarh (C.G.)



छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन-रायपुर



आदेश :-

रायपुर, दिनांक

क्र. एफ 13-74/20-3/2010 राज्य शासन एतद् द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत शासन की स्वीकृति दिनांक 17 JUNE 2010 के अनुपालन में प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर निम्नलिखित सूची के कॉलम (2) में दर्शित स्थानों के अनुसार 52 नवीन मॉडल स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

2 उक्त 52 नवीन मॉडल स्कूल हेतु रु. 302 लाख प्रति स्कूल की दर से 157.04 करोड़ की आसकीय स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0 क्रमांक 27/32679/ब-3/2011 दिनांक 15.02.2011 द्वारा प्रदान की गई है:-

क्र.	स्वीकृत मॉडल स्कूल का नाम	विकासखण्ड का नाम	जिला का नाम	संचालन हेतु निर्धारित कक्षा
1	2	3	4	5
1	मॉडल स्कूल करमरी	बस्तर	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
2	मॉडल स्कूल देव खरगांव	कोंडागांव	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
3	मॉडल स्कूल जगदलपुर	जगदलपुर	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
4	मॉडल स्कूल सिंघनपुर	तोकापाल	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
5	मॉडल स्कूल गुमदपाल	दरभा	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
6	मॉडल स्कूल लम्दागुडा	लोहानडीगुडा	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
7	मॉडल स्कूल लालागुडा	बस्तनार	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
8	मॉडल स्कूल उदिदगांव	माकडी	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
9	मॉडल स्कूल उल्नार	बकाबंद	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
10	मॉडल स्कूल बडे डोंगर	फरसगांव	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
11	मॉडल स्कूल विश्रामपुरी	बडेराजपुर	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
12	मॉडल स्कूल गरकागुडरेपारा	केशकाल	बस्तर	6 वीं से 12 वीं
13	मॉडल स्कूल भैरगगढ	भैरगगढ	बीजापुर	6 वीं से 12 वीं
14	मॉडल स्कूल माधीगुडा	बीजापुर	बीजापुर	6 वीं से 12 वीं
15	मॉडल स्कूल गोडी	बिल्हा	बिलासपुर	6 वीं से 12 वीं
16	मॉडल स्कूल सरबहरा	गौरला	बिलासपुर	6 वीं से 12 वीं
17	मॉडल स्कूल गोबरीपाट	कोटा	बिलासपुर	6 वीं से 12 वीं
18	मॉडल स्कूल डोंगरियां	मन्वाही	बिलासपुर	6 वीं से 12 वीं
19	मॉडल स्कूल वेदपरसदा	मस्तुरी	बिलासपुर	6 वीं से 12 वीं
20	मॉडल स्कूल फुलवारी जरहागांव	मुंगली	बिलासपुर	6 वीं से 12 वीं
21	मॉडल स्कूल जरेली (पेण्डी)	पनारिया	बिलासपुर	6 वीं से 12 वीं
22	मॉडल स्कूल कुडकई	पेण्डी	बिलासपुर	6 वीं से 12 वीं
23	मॉडल स्कूल देवरी खुर्द काथाकोनी	तखतपुर	बिलासपुर	6 वीं से 12 वीं

25A
11-3-11

11/3/11

24	मॉडल स्कूल कुमहरास	दतेवाडा	दतेवाडा	6 वी से 12 वी
25	मॉडल स्कूल बडेगुडा	कटेकल्याण	दतेवाडा	6 वी से 12 वी
26	मॉडल स्कूल कोन्टा	कोन्टा	दतेवाडा	6 वी से 12 वी
27	मॉडल स्कूल कुत्राबोद	पामगढ	जाजगीर छापा	6 वी से 12 वी
28	मॉडल स्कूल बगीचा	बगीचा	जशपुर	6 वी से 12 वी
29	मॉडल स्कूल कन्साबेल	कन्साबेल	जशपुर	6 वी से 12 वी
30	मॉडल स्कूल पन्डरी पानी	पथलगाव	जशपुर	6 वी से 12 वी
31	मॉडल स्कूल धामपुरा	कवर्धा	कबीरधाम	6 वी से 12 वी
32	मॉडल स्कूल लडुवा	पडरिया	कबीरधाम	6 वी से 12 वी
33	मॉडल स्कूल कुसुमघटा	बोडला	कबीरधाम	6 वी से 12 वी
34	मॉडल स्कूल खरमोरा	कोरबा	कोरबा	6 वी से 12 वी
35	मॉडल स्कूल बडमार	करतला	कोरबा	6 वी से 12 वी
36	मॉडल स्कूल जेन्जरा	कटघोरा	कोरबा	6 वी से 12 वी
37	मॉडल स्कूल सैला	पाली	कोरबा	6 वी से 12 वी
38	मॉडल स्कूल दररामाटा	पोण्डयू प्रोरा	कोरबा	6 वी से 12 वी
39	मॉडल स्कूल सकरिया	खडगवान	कोरिया	6 वी से 12 वी
40	मॉडल स्कूल कछौड	मनेन्द्रगढ	कोरिया	6 वी से 12 वी
41	मॉडल स्कूल जनकपुर	भरतपुर	कोरिया	6 वी से 12 वी
42	मॉडल स्कूल सुलेना	नारायणपुर	नारायणपुर	6 वी से 12 वी
43	मॉडल स्कूल ओरछा	ओरछा	नारायणपुर	6 वी से 12 वी
44	मॉडल स्कूल कुन्जरा	लैलुंगा	रायगढ	6 वी से 12 वी
45	मॉडल स्कूल मुगझर	देवभोग	रायपुर	6 वी से 12 वी
46	मॉडल स्कूल देहारगुडा	मैनपुर	रायपुर	6 वी से 12 वी
47	मॉडल स्कूल खमरिया	बिलाईगढ	रायपुर	6 वी से 12 वी
48	मॉडल स्कूल छरछेद	कसडोल	रायपुर	6 वी से 12 वी
49	मॉडल स्कूल सकरी	बलौदाबाजार	रायपुर	6 वी से 12 वी
50	मॉडल स्कूल टिकुलिया	भाटापारा	रायपुर	6 वी से 12 वी
51	मॉडल स्कूल परसा	अम्बिकापुर	सरगुजा	6 वी से 12 वी
52	मॉडल स्कूल तिलिसवान	सुरजपुर	सरगुजा	6 वी से 12 वी

- 3/ उपरोक्तानुसार मॉडल स्कूलों के लिए नवीन पदों की स्वीकृति (सेटअप) पृथक से जारी किया जावेगा।
- 4/ उपरोक्तानुसार स्वीकृत मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 वी से 12 वी तक अध्यापन होगा। छात्रों का प्रवेश कक्षा 6 वी में प्रारंभिक चयन परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार कक्षा 9 वी एवं 11 वी में चयन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकेगा, जिसके संबंध में पृथक से निर्देश जारी किया जावेगा।
- 5/ उक्त मॉडल स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।



- ✓ उक्त शालाएँ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध होंगी। तदनुसार घटन-पाठन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम के आधार पर किया जावेगा।
- ✓ उक्त शालाओं का प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर मॉडल स्कूल के राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छ.ग. रायपुर, का होगा। इस विषय में इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 8/ उक्त शालाओं को आगामी सत्र 2011 (जुलाई 2011) से प्रारंभ किया जावेगा।
- 9/ शाला प्रारंभ करने के पूर्व सेटअप जारी करने एवं शिक्षक वर्ती का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विलियम कुजूर)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पु. क्र. एफ 13-74/20-3/2010
प्रतिलिपि-

रायपुर, दिनांक 25/11/11

1. श्री भास्कर दास गुप्ता अवर सचिव मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार नई दिल्ली ।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
7. समस्त संभाग आयुक्त छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. महालेखाकार छ.ग. शासन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
9. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
11. आयुक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र/एफ 13-5/2016/20-तीन (1)

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

प्रति,

कलेक्टर,

जिला- बलौदाबाजार, बलसोपपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद
जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरवा, कोरिया, मुंगेली
रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा

विषय:- 59 मॉडल स्कूल का संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाना।

—0—

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छ.ग. राज्य में शैक्षणिक रूप से पिछड़े 74 विकासखण्डों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने हेतु राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है। मई 2015 से मॉडल स्कूल का हस्तांतरण पूर्ण रूप से राज्य शासन को कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के 59 मॉडल स्कूलों का संचालन कॉमर्सियल आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन 59 विद्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। इनका संचालन डीएनडी कॉलेज मैनेजिंग कमीटी, चित्रगुप्त रोड, पहाडगंज, नई दिल्ली संस्था द्वारा किया जाएगा। संस्था से किया गया अनुबंध की छायाप्रति पृथक से प्रेषित की जा रही है।

संचालन के मुख्य बिन्दु :-

(क) भवन -

1. अप्रैल 2016 से सभी विद्यालयों का भवन, मैदान एवं सामग्री संबंधित संस्था को 30 वर्ष की अवधि के लिए उपयोग हेतु उनको Usage Rights (उपयोग का अधिकार) अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु एक स्थानीय अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, जिसका मूल्य रु. 100 प्रति शाला के हिसाब से होगा। प्रत्येक शाला हेतु पृथक अनुबंध होगा। इस हेतु तत्काल कार्यवाही करें/ निर्देश जारी करें।
2. विद्यालय एवं मैदान का स्वागित्व छ.ग.शासन के पास ही रहेगा।
3. सभी विद्यालय "जहां है, जैसे है" के आधार पर उन्हें संचालन हेतु उपलब्ध होंगे।
4. विद्यालय में लगने वाला अतिरिक्त फर्नीचर एवं सामग्री हेतु एकमुश्त अनुदान स्कूल शिक्षा विभाग एवं अनुबंधकर्ता के संयुक्त निरीक्षण पश्चात् जारी की जा सकेगी।
5. विद्यालय भवन के मरम्मत एवं रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की रहेगी।
6. अनुबंधित अवधि समाप्त होने पर निजी संस्था द्वारा सभी अचल संपत्ति तथा शासकीय प्रदत्त चल संपत्ति को छोड़कर उनके द्वारा लायी गई चल संपत्ति को ले जाने की अनुमति भौतिक स्थापन पश्चात् दी जा सकती है।
7. संस्था भवन एवं अचल संपत्ति को उसी स्थिति में वापस करेगा जिस स्थिति में उसे दिया गया है।

Handwritten signature

(ख) अध्यापन -

1. शाला का सम्पूर्ण संचालन उक्त संस्था द्वारा किया जाएगा। इसमें अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त प्रबंधकीय एवं गैर शैक्षकीय गतिविधियां भी उनके दायित्व में रहेगा।
2. शाला का कक्षा 1वीं से 12वीं तक निजी संस्था के माध्यम से संचालन होगा।
3. इन विद्यालयों में दिनांक 01 अप्रैल 2016 से शासन की ओर से कोई भी अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं होंगे और न ही पदांकित होंगे।
4. संस्था द्वारा दो पालियों में सुविधानुसार कक्षा का संचालन किया जा सकता है।
5. इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य अंग्रेजी माध्यम सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित होगी।
6. किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 90 होगी। प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 02 सेक्शन होंगे।
7. स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति से दो से ज्यादा सेक्शन भी किसी कक्षा के लिए खोला जा सकता है।
8. विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर आधारित होगा।
9. जिन विद्यालयों की मान्यता सीबीएसई से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली जा चुकी है वह अनुबंधकर्ता को हस्तांतरित हो जाएगी। नयी मान्यता तथा हस्तान्तरण हेतु होने वाला व्यय अनुबंधकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) वित्तीय प्रबंधन -

1. इन 59 विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संस्था को राज्य शासन द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त रु. 7216 प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रदाय किया जाएगा।
2. संस्था स्वयं के साधन से शाला संचालित करेगा, इस हेतु वह स्थानीय तौर शासकीय कोटे एवं RTE कोटे को छोड़कर, अन्य विद्यार्थियों से Fees प्राप्त कर सकता है।
3. अनुबंधकर्ता द्वारा विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर किया जाएगा, इसके लिए 04 सूचकांक तय किए गए हैं, जिसमें कमी पाये जाने पर अनुबंधकर्ता को होने वाले मुग्तान में कटौती की जा सकेगी। सुलभ संदर्भ हेतु अनुबंध के नियम - 19 में विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध है। यह सूचकांक होंगे-
 1. 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या,
 2. निजी तथा शासकीय विद्यार्थियों के मध्य उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की तुलना,
 3. ड्राप आउट अनुपात, एवं
 4. कक्षा 6वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों द्वारा सीसीई में प्राप्त ग्रेड।

(घ) दाखिला-

1. इन विद्यालयों में दाखिला शासकीय कोटा एवं RTE कोटे को छोड़कर, संस्था द्वारा किया जाएगा।

real

2. कक्षा 6वीं अथवा आगे की कक्षाओं में कोई भी नया दाखिला कलेक्टर द्वारा / जिला स्तर पर नहीं किया जाएगा।
3. अनुबंध के अनुसार संस्था इन विद्यालयों में रिक्त सीटों पर खुली प्रवेश नियम से सीट भरने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। सभी कक्षाओं में कुल निर्धारित सीट का 08 प्रतिशत सीट निःशुल्क होंगे तथा 25 प्रतिशत सीट RTE Norms के आधार पर भरे जाएंगे। इस प्रकार दो सेवशन मानते हुए, प्रत्येक कक्षा में कुल स्वीकृत अधिकतम 90 सीट में से 7 सीट निःशुल्क शासकीय कोटा एवं 23 सीट शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिला दे सकते हैं।
4. इनमें से 25 प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी जिनका नामांकन आरटीई नार्मस के आधार पर किया गया है, उनके फीस की प्राप्ति शासन द्वारा किया जाएगा एवं 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटे के विद्यार्थियों को संबंधित संस्था कक्षा पहली से बारहवीं तक पूर्णतः निःशुल्क अध्ययन-अध्यापन कराया जाएगा।
5. इस 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा वाले विद्यार्थियों का चयन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।
6. संस्था द्वारा कक्षा 1ली से 6वीं तक का नामांकन (दाखिला) इस वर्ष किया जा सकेगा। कक्षा 7वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा में सीट रिक्त होने पर निजी संस्था खुले प्रवेश नियम के तहत सीट भरने के लिए स्वतंत्र होगा, जिनका फीस निजी संस्था ले सकेगी। परंतु कक्षावार कुल स्वीकृत सीट संख्या से अधिक की दाखिला बिना विभागीय पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
7. वर्तमान नामांकित विद्यार्थी जब तक 12वीं उत्तीर्ण नहीं होते हैं तबतक उन्हें पढ़ाने एवं उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी निजी संस्था की होगी।

(घ) अन्य निर्देश -

1. चूंकि शाला संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा, अतः उसकी मान्यता, आदि हेतु शर्तों का पालन तथा आवश्यकतानुसार मान्यता हेतु अर्हता पूर्ण करने की जिम्मेदारी उक्त संस्था की रहेगी।
2. सभी विद्यालयों का संचालन शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष संस्था द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा, एवं जिसका उपाध्यक्ष कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले का राजपत्रित अधिकारी होगा। इस शाला प्रबंधन समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण अनिवार्यतः सदस्य होंगे।
3. प्रत्येक विद्यालय को "विद्यार्थियों का लैंगिक अपराध एक्ट 2012" का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के अनुबंध की उल्लंघन एवं नियमों का उल्लंघन करने पर शासन द्वारा ग्रेडेड पैनल्टी एवं टर्निशन का भी प्रावधान रखा गया है, जिसका उल्लेख Concessionnaire Agreement में है।

Real

1/4/16

5. संस्था द्वारा अनुबंध समाप्ति के लिए नोटिस के बाद 01 सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष तक (जब तक दूसरी व्यवस्था न हो जाए) स्कूलों का संचालन करना अनिवार्य होगा।
6. प्रभावशील राज्य एवं केन्द्र के कानून, नियम एवं निर्देश तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा निर्धारित अन्य सभी नियम एवं परिनियम लागू होंगे।

संलग्न:- 59 विद्यालयों की सूची।


30/3/16
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्र./एफ 13-5/2016/20-तीन (1)
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

- 1 निज सचिव, माननीय मंत्री, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2 आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
- 3 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 प्रबंध संचालक, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5 मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, -बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरिबाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7 सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला - बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरिबाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा को सूचनार्थ।


30/3/16
सचिव

छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

59 मॉडल स्कूल

क.	जिला	विकासखंड	मॉडल स्कूल का नाम
1	बलौदाबाजार	विलाईगढ	खम्हरिया
2	बलौदाबाजार	कमंडोल	छरछेद
3	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	सकरी
4	बलौदाबाजार	गाटापारा	टिकुलिया
5	बलरामपुर	राजचंदपुर	भवरमाला
6	बलरामपुर	वाइफनगर	प्रेमनगर
7	बलरामपुर	राजपुर	पतरातु
8	बस्तर	बस्तर	करमरी
9	बस्तर	जागदलपुर	आडावाल
10	बस्तर	तोकापाल	सिंघनपुर
11	बस्तर	दरभा	गुमदपाल(छिंदावाडा)
12	बस्तर	लाहानडीगुडा	लम्दागुडा
13	बस्तर	बस्तरनार	लालागुडा
14	बस्तर	बामावंद	उल्लार
15	बेमैतरा	बेमैतरा	जांता
16	बिलासपुर	बिल्हा	गोदी
17	बिलासपुर	गौरिला	सरबहरा
18	बिलासपुर	कोटा	गोबरीपाट
19	बिलासपुर	मरवाही	कुम्हारी
20	बिलासपुर	मस्तुरी	वेदपरसदा
21	बिलासपुर	पेण्ड्रा	कुडकई
22	बिलासपुर	तखतपुर	देवरी खुद
23	गरियाबंद	देवमोग	मुंगडार
24	गरियाबंद	मिनापुर	देहारगुडा
25	जांजगीर-चांपा	पामगढ	कुत्राबोड
26	जशपुर	वपीच्चा	बगीचा
27	जशपुर	कांसाबेल	कांसाबेल
28	जशपुर	पत्थलगांव	पंडरी पानी
29	कबीरधाम	कवर्धा	धरमपुरा
30	कबीरधाम	पंडरिया	लडुवा
31	कोडागांव	कोडागांव	देव खरगांव
32	कोडागांव	माकडी	बेलगांव
33	कोडागांव	फरसगांव	बडे डोंगर
34	कोडागांव	बडेराजपुर	विश्रामपुरी (होनावण्डी)
35	कोडागांव	कशकाल	गरकागुडरपारा
36	कोरवा	कोरवा	खरमोरा
37	कोरवा	बस्तला	बडमार
38	कोरवा	कटघोरा	जेन्जरा

39	कोरबा	पाली	सैला
40	कोरबा	पोडी उपरोडा	डोंगरतराई (भांवर)
41	कोरिया	खडगवान	राकरिया
42	कोरिया	सनेन्द्रगढ़	कछौद
43	कोरिया	भरतपुर	जनकपुर
44	मुंगेली	मुंगेली	बीरगांव फुलवारी
45	मुंगेली	पणरिया	जरेली (पेण्डी)
46	मुंगेली	लारमी	कोतरी
47	रायगढ़	लौमुंगा	कुन्जारा
48	रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़
49	सरगुजा	मैनापाट	नर्मदापुर
50	सरगुजा	लखनपुर	कैवडी
51	सरगुजा	बताली	भटको
52	सरगुजा	लुङ्गा	कडकी
53	सरगुजा	सीतापुर	प्रतापगढ़
54	सरगुजा	आधिकापुर	परसा
55	सरगुजा	उदयपुर	सन्नीबरी
56	सूरजपुर	भैंसाधान	जागड़ी
57	सूरजपुर	प्रतापपुर	कनकनगर
58	सूरजपुर	ओडगी	कलामजन
59	सूरजपुर	सूरजपुर	तिलिसवां

(Signature)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायप